



उत्तराखण्ड शासन

2009—2010

का

वार्षिक वित्तीय विवरण

तथा

वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

मुद्रक :

संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)

2009



उत्तराखण्ड शासन

2009—2010

का

वार्षिक वित्तीय विवरण

तथा

वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

विषय—सूची

वार्षिक वित्तीय विवरण

क्र०संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	बजट परिचय	
2.	वित्तीय स्थिति की समीक्षा	
3.	समेकित निधि की प्राप्तियों का विवरण—पत्र	
4.	समेकित निधि से व्यय	
5.	आकस्मिकता निधि तथा लोक खाता के अन्तर्गत प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—पत्र	
6.	अनुदानवार व्यय की समीक्षा	
7.	राज्य की ऋणग्रस्तता	
8.	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण	
9.	अनुलग्नक—1: उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम,2005 की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण।	
10.	उत्तराखण्ड मध्यकालिक राजकोषीय नीति,2009	

बजट परिचय

बजट परिचय

2009-2010

भूमिका

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की संज्ञा दी गयी है। इस विवरण को ही बोलचाल की भाषा में बजट अथवा आय-व्ययक कहा जाता है। आय-व्ययक में सरकार की प्राप्तियों और संवितरण को उसी प्रकार दिखाया जाता है, जिस प्रकार सरकारी लेखे रखे जाते हैं।

2- सरकारी लेखे नकद आधार पर प्राप्तियों/संवितरणों की धनराशि के सम्बन्ध में रखे जाते हैं और बारह महीने की अवधि के लिये होते हैं। यह अवधि 1 अप्रैल से आरम्भ होती है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि ये लेखे किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली वास्तविक नकद प्राप्तियों और किये गये संवितरणों की धनराशि को व्यक्त करते हैं न कि उसी अवधि में सरकार के पावने या दायित्व की धनराशियों को।

सरकारी लेखे
नकद
प्राप्तियों /
संवितरणों
पर आधारित

3- लेखे तीन भागों में विभक्त किये गये हैं:-

भाग- 1 समेकित निधि (कन्सालिडेटेड फण्ड)

भाग-2 आकस्मिकता निधि (कन्टिन्जेन्सी फण्ड)

भाग-3 लोक खाता (पब्लिक एकाउन्ट)

सरकारी लेखे
का विभाजन

समेकित निधि (कन्सालिडेटेड फण्ड):- उत्तरांचल की समेकित निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, समस्त ऋण तथा अर्थोपाय सम्बन्धी अग्रिम और ऋणों के प्रतिदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा समस्त धनराशियाँ जमा होती हैं। इस निधि से केवल विधि के अनुसार और केवल उन प्रयोजनों के लिये तथा उस रीति से जो संविधान में वर्णित है, धनराशियों का विनियोग करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से विनियोग नहीं किया जा सकता।

आकस्मिकता निधि (कन्टिन्जेन्सी फण्ड):- किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कभी-कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आय-व्ययक (बजट) में व्यय के लिये व्यवस्थित धनराशि वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त सिद्ध

हो या व्यय किसी ऐसी नई मद के सम्बन्ध में करना हो, जिसका आय-व्यय में प्राविधान न किया गया हो, ऐसी परिस्थितियों में विधान-मण्डल से अनुपूरक अनुदानों की मांग करना आवश्यक हो जाता है। विधान-मण्डल का सत्र पूरे वर्ष नहीं चलता रहता है और न प्रत्येक बार व्यय की आवश्यकता होने पर अनुपूरक मांग ही प्रस्तुत करना व्यवहारिक होता है, अतएव संविधान के अनुच्छेद- 267 में राज्य आकस्मिकता निधि स्थापित करने की व्यवस्था दी गई है। यह निधि अग्रदाय रूप में होती है और उसमें विधि द्वारा निर्धारित धनराशियां जमा की जाती हैं, उसमें से राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये अग्रिम देते हैं। राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित अधिनियम द्वारा 85 करोड़ रुपये की आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है। इस निधि से समय-समय पर जो धनराशियां राज्यपाल के प्राधिकार से निकाली जाती हैं, उनकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांगों अथवा मुख्य बजट द्वारा विधान-मण्डल से व्यय की स्वीकृति प्राप्त करके यथाशीघ्र कर दी जाती है। अनुपूरक मांग या तो उस धनराशि के लिये हो सकती है जो उस पूरे अनुमानित व्यय के बराबर हो जिसके लिये उक्त निधि से अग्रिम दिया गया हो या सम्बन्धित अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत कुछ बचतों के उपलब्ध होने के कारण कम की गई धनराशि के लिये हो सकती है, जो बाद में आवश्यकता से अधिक पाया गया हो या केवल ऐसी प्रतीक धनराशि के लिए हो सकती है, जिसके अन्तर्गत व्यय की सम्पूर्ण धनराशि सम्बन्धित अनुदान या भारित विनियोग में होने वाली बचतों से पूरी की जा सकती है।

लोक खाता (पब्लिक एकाउन्ट):- प्रशासन के दौरान सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी धनराशियां भी प्राप्त की जाती हैं, जिनका सम्बन्ध समेकित निधि से नहीं होता है। उदाहरणार्थ- किसी ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में या किसी वादी द्वारा न्यायालय में या किसी स्थानीय निकाय द्वारा सरकारी अभिकरण के माध्यम से किसी प्रयोजन का निष्पादन करने के लिए जमा की गई धनराशियां तथा विभिन्न भविष्य निधियों (प्राविडेन्ट फण्ड्स) और रक्षित निधियों (रिजर्व फण्ड्स) आदि में जमा की जाने वाली धनराशियां। ऐसी धनराशियां राज्य के लोक-खाता के अन्तर्गत जमा की जाती हैं। लोक-खाता से संवितरण की दशा में विधान-मण्डल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये धनराशियां समेकित निधि से नहीं दी जाती हैं। कुछ मामलों में विधान-मण्डल का अनुमोदन

प्राप्त करके विशिष्ट प्रयोजनों जैसे:- गन्ना अनुसंधान, आदि पर व्यय करने के लिये लोक-लेखे के अन्तर्गत निधियों में जमा कर दिया जाता है। तथापि प्रायोजनाओं सम्बन्धी वास्तविक व्यय को विधान-मण्डल का पुनः अनुमोदन प्राप्त करके समेकित निधि से ही व्यय किया जाता है और पुस्तक समायोजन द्वारा व्यय को सम्बन्धित निधि के नामे डाल दिया जाता है।

4- समेकित निधि के दो मुख्य भाग होते हैं:- (1) राजस्व लेखा (रेव्यू एकाउन्ट) और (2) पूंजी लेखा (कैपिटल एकाउन्ट) जिसमें पूंजीगत व्यय, लोक ऋण (पब्लिक डेट) तथा उधार और अग्रिम सम्मिलित है।

समेकित

(1)- राजस्व लेखा:- यह मुख्यतया विभिन्न करों व शुल्कों, सेवाओं के लिये फीस, जुर्मानों और जप्तियों आदि से प्राप्त सरकार की वर्तमान आय और इस आय से पूरे किये जाने वाले व्यय का लेखा होता है। राजस्व खाते से किया जाने वाला व्यय सामान्यतया सरकारी कार्यालयों और विभिन्न सेवाओं के सम्बन्ध में तथा सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर देय ब्याज के भुगतान आदि के लिये होता है। किसी वित्तीय वर्ष की ऐसी आय और व्यय के अन्तर को उस वर्ष का राजस्व बचत या घाटा कहते हैं, जबकि उस वर्ष के लिये अनुमानित आय अनुमानित व्यय से क्रमशः अधिक या कम होती है।

निधि के भाग

(2) पूंजीगत लेखा:- इसके अन्तर्गत पूंजीगत व्यय, लोक ऋण तथा उधार और अग्रिम से सम्बन्धित व्यय और उससे सम्बन्धित प्राप्तियों और वसूलियों का लेखा रहता है।

पूंजीगत व्यय:- मोटे तौर पर पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो भौतिक और स्थायी प्रकार की ठोस परिसम्पत्तियों (जैसे- अभियन्त्रण प्रायोजनाओं, भवनों आदि) की वृद्धि या उनके निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है तथा इसमें सरकार द्वारा किये जाने वाले पूंजी-निवेश भी सम्मिलित होते हैं। तथापि यह परमावश्यक नहीं है कि ठोस परिसम्पत्तियां सदैव उत्पादक ही हों या उनसे राजस्व की प्राप्ति होती ही हो। पूंजी लेखे में से किसी प्रायोजना के प्रथम निर्माण के सारे व्यय तथा उसे चालू किये जाने तक की अवधि के अनुरक्षण व्यय और निर्माण कार्यों के आवश्यक विस्तार तथा सुधारों के सम्बन्ध में अन्य व्यय भी किये जाते हैं। किन्तु इसके बाद

नैतिक रख-रखाव और मरम्मत सम्बन्धी व्यय तथा कार्य सम्पादन व्यय राजस्व लेखे से किये जाते हैं।

लोक ऋणः— इस शीर्षक के अन्तर्गत सरकार द्वारा लिये गये ऋण तथा उनके प्रतिदान के लिये की गई व्यवस्था होती है। कतिपय ऋण पूर्णतः अस्थायी प्रकार के होते हैं, जिन्हें 'अल्पकालिक ऋण' कहा जाता है जैसे— अर्थोपाय अग्रिम। अन्य प्रकार के ऋणों को 'दीर्घकालिक ऋण' कहा जाता है।

उधार और अग्रिमः— सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं या व्यक्तियों को जो ऋण और अग्रिम दिये जाते हैं उनके संवितरण तथा उनके समक्ष होने वाली वसूलियों को इस शीर्षक के अन्तर्गत पुस्तान्वित किया जाता है।

राजस्व घाटा / राजस्व अतिरेकः— राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अन्तर को राजस्व घाटा / राजस्व अतिरेक (यथास्थिति) की संज्ञा दी जाती है

सकल राजकोषीय घाटाः— कुल व्यय (जिसमें राजस्व लेखे के व्यय के अतिरिक्त पूंजीगत परिव्यय के साथ ऋणों और अग्रिमों का संवितरण सम्मिलित है परन्तु ऋणों का प्रतिदान सम्मिलित नहीं है) में से कुल राजस्व प्राप्तियों, ऋणों एवं अग्रिम की वसूलियों के योग को घटाने पर जो राशि निकलती है वह सकल राजकोषीय घाटा प्रदर्शित करती है।

प्राइमरी घाटाः— सकल राजकोषीय घाटे की जो राशि आंकलित होती है, उसमें से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय-भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राइमरी घाटा दर्शाती है।

5—अनुभाग तथा लेखा-शीर्षकः— समय-समय पर भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। निर्धारित किये गये मुख्य तथा लघु शीर्षकों में उक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य शीर्षकों का विभाजन उप मुख्य शीर्षकों, लघु शीर्षकों, विस्तृत शीर्षकों तथा प्राथमिक इकाइयों (व्यय की मानक मदों) में किया जाता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मुख्य शीर्षक के अधीन उप मुख्य शीर्षक तथा प्रत्येक उप शीर्षक के अधीन विस्तृत शीर्षक हों। व्यय की एक ऐसी मद जिसके अन्तर्गत मुख्य शीर्षक से मानक मद तक सभी शीर्षकों का उल्लेख है, का उदाहरण इस प्रकार है।

अनुभाग तथा
लेखा शीर्षक

प्रभाग

अनुभाग

मुख्य शीर्षक

उप मुख्य शीर्षक

लघु शीर्षक

उप शीर्षक

विस्तृत शीर्षक

प्राथमिक इकाई
(मानक मद)

इसी प्रकार प्राप्तियों की एक मद का उदाहरण निम्नत है:—

राजस्व लेखा

ख—सामाजिक सेवायें— (ख) स्वास्थ्य तथा
परिवार कल्याण

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

02—शहरी स्वास्थ्य सेवायें— अन्य चिकित्सा
पद्धतियाँ

101— आयुर्वेद—

05— अस्पताल तथा रुजालय—

02— आयुर्वेदिक चिकित्सालय व औषधालय

01—वेतन, 03—महंगाई भत्ता, 04— यात्रा
व्यय, 06—अन्य भत्ते, 08— कार्यालय व्यय

प्रभाग

अनुभाग

मुख्य शीर्षक

उप मुख्य शीर्षक

लघु शीर्षक

उप शीर्षक

विस्तृत शीर्षक

राजस्व लेखा

ख— करेत्तर राजस्व (ग) अन्य करेत्तर
राजस्व (घ) सामान्य सेवायें—

0070—अन्य प्रशासनिक सेवायें

02—चुनाव—

101— चुनाव फार्मों और दस्तावेजों की
बिक्री से आय—

01— विधान सभा और संसद निर्वाचन क्षेत्र
की प्राप्तियाँ—

0101— निर्वाचन नामावलियों की बिक्री से
प्राप्तियाँ—

6—संविधान के अनुच्छेद:— 202 के अनुसार यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान-मण्डल के सदनों के समक्ष राज्यपाल, राज्य की उस वर्ष के लिये अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेंगे जिसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के नाम से निर्दिष्ट किया गया है और जिसे आमतौर पर 'आय-व्ययक' समझा जाता है और उस वित्तीय विवरण में दिये हुये व्यय के अनुमानों में उन धनराशियों को पृथक-पृथक दिखाया जायेगा जो राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय तथा उस निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित हो और उनमें राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा।

**वार्षिक
वित्तीय
विवरण/
आय-व्ययक**

भारित व्यय:— भारित व्यय में निम्नलिखित प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं:—

- राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते तथा उनके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय।
- विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति तथा उप-सभापति के वेतन और भत्ते,
- ऐसे ऋण-भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अन्तर्गत ब्याज, ऋण शोधन निधि भार और मोचन भार, उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित है,
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन से सम्बन्धित व्यय और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों के समस्त वेतन, भत्ते और पेंशनें सम्मिलित हैं,
- किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञाप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई धनराशियां,
- संविधान के अनुच्छेद— 290 के अधीन घोषित व्यय तथा पेंशनों के व्यय के विषय में समायोजन,

- राज्य के लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनमें आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों को अथवा उनके विषय में देय वेतन, भत्तों तथा पेंशन के व्यय सम्मिलित हैं, और
- संविधान या राज्य के विधान-मण्डल से विधि द्वारा समेकित निधि पर भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।
(संविधान के अनुच्छेद 202 (3), 229 (3) तथा 322)

7— आय-व्यय के लेखों में सामान्यतया चार प्रकार के आंकड़े दिये होते हैं:—

- आय-व्यय वर्ष के आय-व्यय अनुमान।
- आय-व्यय वर्ष से पूर्व के आय-व्यय अनुमान, जैसे कि विधान-मण्डल के समक्ष मूल रूप में प्रस्तुत किये गये थे।
- आय-व्यय वर्ष से पूर्व वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान।
- आय-व्यय वर्ष से पूर्व वर्ष के ठीक पहले के वर्ष का लेखा (वास्तविक आंकड़े)। आय-व्यय वर्ष के पूर्व के वर्षों के आंकड़े केवल तुलना करने के उद्देश्य से दिये जाते हैं।

उपरोक्त सभी अनुमानों को हजार रुपये के गुणांकों में दिखाया जाता है।

8— व्यय के अनुमानों में सम्मिलित धनराशियाँ इस प्रकार हैं:—

(1)— जिन्हें 'स्थायी स्वीकृतियाँ' के अन्तर्गत वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराशियाँ कहा जा सकता है और (2) वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नये व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराशियाँ। श्रेणी (2) के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिये व्यय करने के पूर्व विधान-मण्डल की विशिष्ट स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, सिवाय उस दशा में जबकि आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर व्यय करने का प्राधिकार दिया गया हो।

अनुदानों की प्रत्येक मांग में सबसे पहले प्रस्तावित कुल अनुदान का एक विवरण रहता है और उसके बाद अनुदान के अन्तर्गत व्योरेवार अनुमानों का विवरण रहता है।

9— भारित व्यय विषयक अनुमानों पर विधान-मण्डल का मतदान अपेक्षित नहीं है, फिर भी ऐसे व्यय के अनुमानों पर सदन में विचार-विमर्श किया जा सकता है। जहां तक अन्य व्यय का सम्बन्ध है, उसके अनुमान, अनुदानों की मांगों

**आय-व्यय
के लेखों में
सम्मिलित
विषय**

**अनुदानों की
मांगों पर
मतदान**

के रूप में विधान सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। विधान सभा को कोई मांग स्वीकार करने या स्वीकार न करने अथवा उसमें उल्लिखित धनराशि में कटौती करने के बाद उसे स्वीकार करने का अधिकार है।

10— विनियोग विधेयक:— आय—व्ययक पर सामान्य चर्चा हो जाने और विधान सभा द्वारा अनुदानों की विभिन्न मांगों को स्वीकार कर लिये जाने के बाद राज्य की समेकित निधि में ऐसी सभी धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था के लिये एक विधेयक लाया जाता है जो विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान और समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिये आवश्यक हो किन्तु किसी भी दशा में उन धनराशियों से अधिक न हो जो पहले सदन के समक्ष प्रस्तुत विवरण—पत्र में दिखाई गई हों। किसी ऐसे विधेयक पर ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, जिससे किसी अनुदान की धनराशि न्यूनतम हो जाय, किसी अनुदान का उद्देश्य बदल जाय या राज्य की समेकित निधि पर भारित किसी व्यय की धनराशि घट—बढ़ जाय। विधान सभा द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के बाद विधेयक राज्यपाल महोदय के पास उनकी स्वीकृति के लिये भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर उनमें दी गई धनराशियाँ सम्बन्धित वर्ष में सरकार द्वारा व्यय किये जाने के लिये उपलब्ध हो जाती है।

**विनियोग
विधेयक**

11— पुनर्विनियोग:— अनुदान की किसी विशेष मांग के सम्बन्ध में विधान—मण्डल द्वारा स्वीकृत धनराशि या भारित व्यय के लिये आय—व्ययक में सम्मिलित धनराशि एकमुश्त धनराशि के रूप में होती है, यद्यपि यह अनुमानों में दिये गये व्योरां पर आधारित होते हैं। अनुमान अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित होते हैं। यह हो सकता है कि कुछ कारणवश कतिपय शीर्षकों के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशियाँ वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक पायी जाय और अन्य शीर्षकों के अधीन व्यवस्थित धनराशियाँ वास्तविक आवश्यकताओं से कम पड़ जाय। विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान की किसी मांग या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत कुल धनराशि में फिर वृद्धि नहीं की जा सकती, परन्तु सरकार धनराशियों के आवश्यक संक्रमण की स्वीकृति देकर (जिसे 'पुनर्विनियोग कहा जा सकता है) अपेक्षित पुनः समायोजन कर सकती है। ऐसा करने के लिए कतिपय नियमों और शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है। विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत आय—व्ययक में सम्मिलित न की गई नयी मदों, प्रस्तावों या

पुनर्विनियोग

योजनाओं पर व्यय बचतों से नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिये प्रतीक अनुपूरक मांग द्वारा निधान-मण्डल की स्वीकृति न ले ली जाय। मतदेय से भारित व्यय तथा भारित व्यय से मतदेय मद में धनराशियों का कोई संक्रमण नहीं किया जा सकता है। राजस्व लेखे से पूंजी लेखे को तथा पूंजी लेखे से राजस्व लेखे को भी पुनर्विनियोग द्वारा संक्रमण वर्जित है।

12— लोक निधियों के व्यय करने में विधान-मण्डल की इच्छाओं की, जैसी कि वे विनियोग अधिनियमों द्वारा व्यक्त की जाती है, सरकार किस सीमा तक पूर्ति करती है, वह भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक देखते हैं। यह अधिकारी संविधान के अधीन केवल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। विधान-मण्डल के प्रति उनका यह कर्तव्य पूरा करने के साथ-साथ वे सरकार की ओर से भी देखते हैं कि कहीं अधीनस्थ अधिकारी प्राधिकृत व्यय से अधिक व्यय तो नहीं कर रहे हैं। वे समय-समय पर सरकार का ध्यान अनियमितताओं की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये आकर्षित करते रहते हैं। इन कार्यों को वह अपने अभिकर्ता, महालेखाकार, उत्तरांचल द्वारा सम्पादित करते हैं। महालेखाकार सरकारी लेन-देन के लेखे संकलित करते हैं और अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा आवश्यक लेखा-परीक्षा कराते हैं। महालेखाकार प्राप्तियों और व्यय की प्रगति तथा उनकी किसी असाधारण वृद्धि या कमी की सूचना सरकार को वर्ष में समय-समय पर देते रहते हैं। वर्ष का लेखा बन्द हो जाने के बाद वह विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे संकलित करते हैं। इनको वह अपनी टिप्पणी तथा प्रतिवेदन के साथ भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक को प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक महालेखा-परीक्षक उक्त लेखे और प्रतिवेदन अपने प्रमाण-पत्र तथा टिप्पणियों सहित (यदि कोई हों) विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल को भेज देते हैं। विधान-मण्डल की ओर से उनकी जांच 'लोक लेखा-समिति' द्वारा की जाती है और वह अपना प्रतिवेदन तथा सिफारिशें विधान-मण्डल को प्रस्तुत करती है इसके बाद सम्बन्धित विभागों से इन टिप्पणियों और सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करने तथा उचित समय के अन्दर उनके अनुपालन की सूचना देने के लिये कहा जाता है। यदि विनियोग लेखे से यह पता चले कि किसी वर्ष में विधि द्वारा प्राधिकृत धनराशि से अधिक व्यय हो गया है तो ऐसे व्यय को विनियमित करने के लिए विधान मण्डल के संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसार 'अतिरिक्त अनुदान की मांग' प्रस्तुत की जाती है।

नियंत्रण

13— विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत आय—व्ययक (बजट) साहित्य के निम्नलिखित छः खण्ड हैं:—

खण्ड—1:— वर्ष 2009—2010 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री जी का भाषण।

खण्ड—2:— इस खण्ड में वर्ष 2009—2010 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा, दी गई हैं

खण्ड—3:— इस खण्ड में नई मदों, नई योजना अथवा नये निर्माण—कार्यों पर किये जाने वाले प्रस्तावित व्यय को स्पष्ट करने के लिये संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी गई है।

खण्ड—4:— इसमें राजस्व लेखे की प्राप्तियों, लोक ऋण से प्राप्तियों तथा उधार और अग्रिमों की वसूलियों के ब्यौरेवार अनुमान दिये गये हैं।

खण्ड—5:— इसमें राजस्व व्यय तथा पूंजी लेखे के व्यय/संवितरण के ब्यौरेवार अनुमान दिये गये हैं। सुविधा के लिए इसे दो भागों में मुद्रित किया गया है।

भाग—1

विधान सभा, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद्, न्याय प्रशासन, निर्वाचन, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, आबकारी, लोक सेवा आयोग, पुलिस एवं जेल, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, सूचना, कल्याण योजनायें

भाग—2

श्रम और रोजगार, कृषि कर्म एवं अनुसंधान, सहकारिता, ग्राम्य विकास, सिंचाई एवं बाढ़, ऊर्जा, लोक निर्माण कार्य, उद्योग, परिवहन, खाद्य, पर्यटन, वन, पशुपालन, औद्योगिक विकास, अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

खण्ड—6:— इस खण्ड में विभिन्न अनुदानों के अधीन विभागीय पदों का विवरण, वेतनमान आदि दर्शाया जाता है। इस वर्ष इसे दो भागों में मुद्रित किया गया है।

भाग—1

राजकीय कर्मचारियों हेतु

भाग—2

सहाय्यित/सार्वजनिक उपक्रमों हेतु

वित्तीय स्थिति की समीक्षा

समेकित निधि

की

प्राप्तियों

का

विवरण—पत्र

समेकित निधि

से

व्यय

आकस्मिकता निधि
तथा लोक खाता
के अन्तर्गत
प्राप्तियों और
संवितरणों का
विवरण—पत्र

वित्तीय वर्ष 2009—2010

के

आय—व्ययक अनुमानों

के

अनुदानवार व्योरे

अनुदानवार

व्यय

की

समीक्षा

राज्य की ऋणग्रस्तता

राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण

प्रस्तावनिक टिप्पणी

आय-व्ययक साहित्य में प्रदर्शित सभी अनुदानों में व्यय निम्नलिखित 50 मानक मदों के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

01- वेतन	25- लघु निर्माण कार्य
02- मजदूरी	26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र
03- मंहगाई भत्ता	27- चिकित्सा प्रतिपूर्ति
04- यात्रा व्यय	28- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	29- अनुरक्षण
06- अन्य भत्ते	30- निवेश/ऋण
07- मानदेय	31- सामग्री और सम्पूर्ति
08- कार्यालय व्यय	32- ब्याज/लाभांश
09- विद्युत देय	33- पेंशन/आनुतोषिक
10- जलकर/जल प्रभार	34- अवमूल्यन
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	35- अन्तर्लेखा संक्रमण
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	36- बट्टा खाता/हानियां
13- टेलीफोन पर व्यय	37- उचन्त
14- कार्यालय के प्रयोग के लिये स्टाफ	38- अन्तरिम सहायता
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	39- औषधि तथा रसायन
16- व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	40- औषधालय सम्बंधी आवश्यक सज्जा
17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	41- भोजन व्यय
18- प्रकाशन	42- अन्य व्यय
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	43- वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान
20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	44- प्रशिक्षण व्यय
21- छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	45-अवकाश यात्रा व्यय
22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय
23- गुप्त सेवा व्यय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय
24- वृहत् निर्माण कार्य	48- मंहगाई वेतन
	49- मंहगाई पेंशन
	50- उपादान

व्यय की इन 49 मानकमदों का वर्गीकरण पन्द्रह श्रेणियों में किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1-	ब्याज अदायगियां	ब्याज/लाभांश।
2-	अधिष्ठान	वेतन, मंजदूरी, महंगाई भत्ता व्यय, यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, मानदेय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अन्तरिम सहायता, वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान, प्रशिक्षण व्यय, अवकाश यात्रा व्यय महंगाई वेतन।
3-	सहायक अनुदान	सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता।
4-	पेंशन एवं ग्रेचुटी	पेंशन/आनुतोषिक, महंगाई पेंशन।
5-	कार्यालय व्यय/खर्चे	कार्यालय व्यय, विद्युत देय, जलकर/जल प्रभाग, लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय, कार्यालय के प्रयोग के लिये स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय, गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान, किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व, प्रकाशन, विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय तथा कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय
6-	आपरेशन	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, सामग्री और सम्पूर्ति।
7-	अनुरक्षण	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि, अनुरक्षण, औषधि तथा रसायन।
8-	लघु निर्माण कार्य	लघु निर्माण कार्य
9-	वृहत निर्माण कार्य	वृहत निर्माण कार्य
10-	मशीनें तथा साज-सज्जा	मशीनें और सज्जा/उपकरण संयंत्र, मोटर गाड़ियों की खरीद, अवमूल्यन, औषधालय सम्बंधी आवश्यक सज्जा।
11-	उचन्त तथा अन्य व्यय	अन्तर्लेखा संक्रमण, बट्टा खाता/ हानियां, उचन्त, अन्य व्यय।
12-	निवेश/ऋण	निवेश/ऋण
13-	छात्रवृत्ति	छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन
14-	भोजन पर व्यय	भोजन व्यय।
15-	गुप्त सेवा व्यय	गुप्त सेवा व्यय।

उक्त वर्गीकरण के अनुसार अनुदानवार व्यय का विवरण दिया जा रहा है।

अनुलग्नक—1



उत्तराखण्ड मध्यकालिक राजकोषीय नीति, 2009

वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

उत्तराखण्ड राजकोषीय
उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध
अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) के
अधीन अपेक्षित विवरण